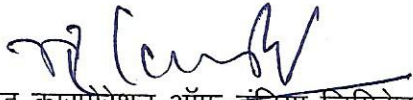


प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के अंदर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, हाथी कोरीडोर, ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र नहीं होने हेतु प्रमाण पत्र
(नवीन चेक लिस्ट कंडिका क 32 का संगलनक)

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा 765 के.व्ही. द्विपरिपथ झारसुगुड़ा से धरमजयगढ़ (कोरबा) तक संचरण पथ 2nd के निर्माण हेतु रायगढ़ वन मण्डल में आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि (कुल 93:1635 हेक्ट.) के 10 कि.मी. के परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र आदि प्रभावित नहीं हो रहा है ।



पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

आर.आ. (की.ओ.सी.) R.R. Baraskar

मुख्य प्रबंधक / Chief Manager

पावर ग्रिड रायगढ़ / Power Grid Raigarh



वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र अधिकारी

घरघोड़ा



वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र अधिकारी

तटागाड़ा



उप वनमण्डलाधिकारी

घरघोड़ा



वन मण्डलाधिकारी

वन मण्डल रायगढ़

छत्तीसगढ़